ई समाचार पत्र

राष्ट्र महिला

राष्ट्रीय महिला आयोग

खण्ड 1, संख्या 231, अक्तूबर-2018

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न– विधि का पुनर्विलोकन

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10(1)(घ) के निबंधनों के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग ने सहयोगियों के साथ सिलसिलेवार परामर्श करने का विनिश्चय किया जिससे महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 का पुनर्विलोकन किया जा सके।

विशाखा वाले मामले उच्चतम न्यायालय के 1997 के निर्णय के आधार पर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा तैयार किए गए प्रारूप के आधार पर विद्यमान अधिनियम विरचित किया गया है। इस अधिनियम में अन्य बातों के साथ साथ सभी ऐसे कार्यस्थलों में जहां 10 या इससे अधिक कर्मचारी हैं वहां एक आंतरिक परिवाद समिति (आईसीसी) का गठन करने के लिए उपबंध किया गया है। यदि जहां कर्मचारियों की संख्या कम है वहां जिला कलेक्टर के अधीन स्थानीय परिवाद समिति (एलसीसी) के लिए उपबंध किया गया है। इस अधिनियम की धारा 14 के अधीन यह उपबंध भी किया गया है कि यदि आईसीसी या एलसीसी इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभिकथन द्वेषपूर्ण है तब शिकायतकर्ता को दंडित किया जाएगा। इसी प्रकार क्रियान्चयन के मुद्दें हैं। इसलिए विस्तारपूर्वक परामर्श करना आवश्यक था जिससे कि उद्भुत होने वाले मुद्दों को समझा जा सके और कार्यान्चयन प्रणाली को मजबूत करने या विधि का संशोधन करने की बाबत उचित कार्रवाई आरंभ की जा सके।

इसलिए, तारीख 17 नवंबर, 2018 को आयोग के सम्मेलन कक्ष में ''महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न'' (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 का पुनर्विलोकन करने के लिए परामर्श आयोजित किया जिसमें विशेषज्ञों जिनमें न्यायमूर्ति सुजाता वी मनोहर (सेवानिवृत्त), न्यायमूर्ति जी. रोहिणी, प्रो. (डा.) जी.एस. बाजपेई, प्रो.(डा.) मृणाल सतीश, अधिवक्ता हितेश जैन, सुश्री सुनीता धर, सलाहकार, जागोरी, सुश्री फ्लाविया अगनस, सुश्री एनी राजा, एनएफआईडब्ल्यू, सुश्री वाणी सुब्रमनियम कार्यकर्ता सहेली, अधिवक्ता मधु मेहरा ने परामर्श में भाग लिया।

सम्यक् रूप से विचार–विमर्श करने के पश्चात् भाग लेने वालो द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें की गईः

(i) राष्ट्रीय महिला आयोग को सरकार को सिफारिशें करने से पहले पूरे देश में प्रादेशिक परामर्श आयोजित करने चाहिए।

(ii) निवारण के बिंदु पर अधिक स्पष्टता की आवश्यकता है।

(iii) किसी विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के साथ अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी करने के लिए उचित प्रणाली की आवश्यकता है।

(iv) ऐसे मामलों में जांच प्रक्रिया में अधिनियम के उपबंधों का पालन करना चाहिए।

(v) अधिनियम में सुलह खंड का पुनर्विलोकन करने की आवश्यकता है।

(vi) यदि जांच से पीडिता का समाधान नहीं होता है तब एक सुपरिभाषित अपील प्राधिकारी का विकल्प उपलब्ध होना चाहिए।

(vii) आंतरिक परिवाद समिति/स्थानीय परिवाद समिति के सदस्यों को नियमित रूप से प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए और मानक प्रशिक्षण माड्यूल विकसित करना चाहिए।

(viii) ई–मेल पर आईसीसी/एलसीसी के ब्यौरे उनके संपर्क (फोन) नंबर के साथ उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय से मीडिया हाउसस में आंतरिक परिवाद समिति का गठन करने के लिए अनुरोध किया गया

राष्ट्रीय महिला आयोग ने अक्तूबर, 2018 मास में सूचना और प्रसारण मंत्रालय से यह अनुरोध किया कि वह कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में जांच–पड़ताल करने के लिए प्रिन्ट, प्रकाशन और निर्माताओं को आंतरिक परिवाद समिति का गठन करने के लिए निदेश करें। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय से यह अनुरोध किया कि वे ऐसे संगठनों जैसे कि प्रिन्ट/प्रकाशन/निर्माताओं को जो टेलीविजन/फिल्म निर्माण का कार्य कर रहे हैं, को महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 उपबंधों के अधीन आंतरिक परिवाद समिति का गठन करने की प्रणाली के माध्यम से लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करने के लिए निदेश जारी करें।

अनिवासी भारतीय विवाह– राष्ट्रीय महिला आयोग ने माननीय विदेश मंत्री को पत्र लिखा

राष्ट्रीय महिला आयोग ने तारीख 03.10.2018 को श्रीमती सुषमा स्वराज, विदेश मंत्री को अनिवासी भारतीय विवाहों में भारतीय महिलाओं की दुर्दशा के बारे में पत्र लिखा। आयोग ने मंत्री को लिखे गए अपने पत्र में यह उल्लेख किया कि भारतीय विधियों के अनुसार रीति रिवाजों से किए गए विवाह के बावजूद विदेशी न्यायालय अकसर ऐसे मामलों में विनिश्चय करते है और विवाह का विघटन करते है तथा कई मामलों में एकपक्षीय विवाह–विच्छेद की डिक्री पारित करते हैं। विदेशी विधियों में इस उपबंध का दुरूपयोग किया जाता है कि 'इस समय उपलब्ध नहीं है' के आधार पर विदेशी न्यायालय द्वारा विनिश्चय किया जाता है। आयोग ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मामलों में विवाह का विघटन उस देश की विधियों के अनुसार किया जाना चाहिए जहां पर विवाह संपन्न हुआ है, क्योंकि अनिवासी भारतीय विवाहों में भारतीय महिलाओं को बिना किसी वित्तीय सहायता के अकसर छोड़ दिया जाता है। इसलिए आयोग ने यह सुझाव दिया कि विदेश मंत्रालय को ऐसे देशों के साथ, जहां पर भारतीय प्रवासी अधिक है, द्विपक्षीय संधि करने की संभाव्यता का पता लगाना चाहिए।

अनिवासी भारतीय विवाहों में व्यथित महिलाओं के आर्थिक पुनर्वास पर चंडीगढ़ में सेमिनार

आयोग ने तारीख 31.10.2018 को संबंधित सहयोगियों के साथ पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में एक परामर्श बैठक आयोजित की और अनिवासी भारतीय विवाहों की व्यथित महिलाओं के आर्थिक पुनर्वास के मुद्दें पर विचार विमर्श किया। इस बैठक में सामाजिक कार्य विभाग और पंजाब विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण शिक्षाविदों और शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक समिति जैसे सामाजिक धार्मिक संगठनों के महत्वपूर्ण प्रतिनिधियों ने तथा डीएवी प्रबंधक समिति और पंजाब के 13 जिलों के सिविल सोसाइटी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। इस बैठक में विभिन्न साझेदारों की संभाव्य भूमिका पर विचार विमर्श किया गया और अनिवासी भारतीय विवाहों में व्यथित महिलाओं के आर्थिक पुनर्वास के कार्यक्रम को कार्यान्वित और अनुवीक्षण करने के लिए एक प्रायोगिक योजना तैयार की गई।

भारत से परिचित होने से संबंधित कार्यक्रम (केआईपी)

तीन सप्ताह के अभिविन्यास कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे प्रवासियों, जो भारतीय मूल के नवयुवकों/नवयुवतियों (18–30 वर्ष के आयु के) है, को समकालीन भारत से परिचित कराने के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा एक सर्वोत्कृष्ट कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले नवयुवकों/नवयुवतियों ने तारीख 15.11.2018 को श्रीमती रेखा शर्मा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग से भेंट की। भारतीय प्रवासियों के इस समूह में 39 विद्यार्थी और नौजवान वृत्तिक थे उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग के कर्मचारियों से बातचीत की तथा आयोग की भूमिका और उसके कृत्यों की सराहना की।

फेसबुक के सहयोग से डिजीटल शक्ति

राष्ट्रीय महिला आयोग ने तारीख 5.12.2018 को फेसबुक के सहयोग से इम्फाल, मणिपुर में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए डिजीटल शक्ति कार्यक्रम आरंभ किया। डाक्टर नजमा हपतुल्लाह, माननीय राज्यपाल, मणिपुर, इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी। माननीय अध्यक्ष, सुश्री रेखा शर्मा, श्रीमती सोसो साइजा, सदस्य, श्री ए. अशोली चलाई, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग और सुश्री नेमचा किपजेन, महिला एवं बाल विकास मंत्री, मणिपुर ने भाग लिया। डिजीटल शक्ति एक ऐसी पहल है जिससे मणिपुर की नवयुवतियां इंटरनेट का उपयोग कैसे बेहतर ढंग से किया जाएं समझने में समर्थ हो सकेगी और ऑनलाइन पर सुरक्षित रहेगी।

सबरीमाला मामले में महिलाओं की सुरक्षा

राष्ट्रीय महिला आयोग ने केरल पुलिस से यह अनुरोध किया कि वह ऐसी महिलाएं जो सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करना चाहती है उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें और यह मांग की कि जो व्यक्ति अपने हाथों में कानून लेना चाहते हैं उनके विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएं।

पूर्वोत्तर राज्यों के राज्य महिला आयोगों की समीक्षा बैठक

राष्ट्रीय महिला आयोग ने मणिपुर राज्य महिला आयोग के सहयोग से तारीख 05.12.2018 को इम्फाल, मणिपुर में पूर्वोत्तर में राज्य महिला आयोगों की एक समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता सुश्री रेखा शर्मा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग ने की और राज्य महिला आयोग के सदस्य और कर्मचारियों अर्थात् श्रीमती सोसो साइजा, सदस्य, रा.म.आ., श्री ए. अशोली चलाई, संयुक्त सचिव, रा.म.आ. और सुश्री एम लीलावती, ज्येष्ठ समन्वयक, रा.म.आ., सुश्री पॉलीन, मीडिया सलाहकार और सुश्री गीता राठी, जेटीई, ने भाग लिया। राज्य महिला आयोगों से इस बैठक में भाग लेने वालों में डा. एम बिनोटा, अध्यक्ष, मणिपुर; सुश्री येहलीन फानबुह, अध्यक्ष, मेघालय, सुश्री बर्नाली गोस्वामी, अध्यक्ष, त्रिपुरा; सुश्री चिकीमिकी तालुकदार, अध्यक्ष, असम; थे और इसके अलावा सुश्री नियति डे, सदस्य, असम; सुश्री ए. नीलिमा देवी और रंजीता गोलमई, सदस्य मणिपुर, सुश्री जोडिंगथंगी और सुश्री लालरिनानग्मी, सदस्य मिजोरम ने भी भाग लिया।

डा. एम बिनोटा, अध्यक्ष राज्य महिला आयोग मणिपुर ने मेजबान के रूप में बैठक में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों का स्वागत किया और महिलाओं के बीच विधिक जागरूकता की आवश्यकता पर तथा उनके विरूद्ध अपराध का निवारण करने के संबंध में जोर दिया। श्रीमती रेखा शर्मा, अध्यक्ष, रा.म.आ. ने पूर्वोत्तर राज्यों में की महिलाओं के आतिथ्य सत्कार कौशल की सराहना की और कहा कि यहां पर्यटन की बहुत अधिक संभावना है। उन्होंने एआईआरबीएनबी के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोगों को जुलाई, 2018 में दिए गए पूर्व प्रशिक्षण का उल्लेख किया और यह इच्छा व्यक्त की कि ऐसे प्रशिक्षण और आयोजित किए जा सकते है किंतु ऐसे आयोजन उनकी उपयोगिता के बारे में मिली जानकारी पर निर्भर करेंगे।

राज्य महिला आयोगों ने पूर्णकालिक सदस्य सचिव की आवश्यकता का मुद्दा उठाया क्योंकि अधिकतर राज्यों में दो पदो पर कार्यनिष्पादन किया जा रहा है। व्यापक रूप से विचार–विमर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित कार्रवाई योग्य बिंदुओं की पहचान की गई:

i. राज्य महिला आयोग विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें और दूसरी किश्त के निर्मोचन के लिए व्यय के ब्यौरें प्रस्तुत करे जिससे की राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा और आगे के कार्यक्रमों का अनुमोदन करने से पहले लेखाओं का परिनिर्धारण किया जा सके।

ii. राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा असम पुलिस के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने के संबंध में कार्रवाई करें।

iii. सदस्य, रा.म.आ. राज्य महिला आयोगों के लिए अनुदान और अवसंरचना सुनिश्चित करने के लिए राज्य का दौरा करेंगे।

स्वाधार गृह का निरीक्षण/सर्वेक्षण के संबंध में विशेषज्ञों की दूसरी परामर्श बैठक

तारीख 12.12.2018 को आयोग में 'स्वाधार गृह का निरीक्षण/सर्वेक्षण के साधनों को अंतिम रूप देने के लिए दूसरी परामर्श बैठक' आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता श्रीमती रेखा शर्मा, अध्यक्ष द्वारा की गई और इस बैठक में ऐसे विशेषज्ञों/शिक्षाविदों जिनके पास विधि या सामाजिक कार्य की पृष्ठभूमि है और गैर सरकारी संगठनों से जिनका चयन किया गया है अर्थात् सुश्री सुनीता धर, सलाहकार, जागोरी, सुश्री मीरा खन्ना, कार्यपालक उपाध्यक्ष, गिल्ड ऑफ सर्विसस (सेवाओं की सुरक्षा); सुश्री सुनीता ढल, सहायक आचार्य, इग्नू; डा. मनजीत भाटिया, निदेशक, महिला अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय; आचार्य साबिया हुसैन, जामिया मिलिया इस्लामिया और डा. अनुजा, जेएनयू के साथ सदस्यों, सदस्य सचिव और आयोग के अन्य कर्मचारियों ने भाग लिया। सामूहिक परामर्श से देश में स्वाधार गृहों का सर्वेक्षण/निरीक्षण करने की एक व्यापक योजना तैयार करने में सहायता मिगी। साधन/प्रश्नावली को अंतिम रूप देते समय विशेषज्ञ समिति के पास डा. वी. आर. त्रिपुरना, सलाहकार, रा.म.आ. द्वारा 4 राज्यों में 25 स्वाधार गृह के दौरे से संबंधित जानकारी थी।

सुश्री तिखाला इताई ने आयोग का दौरा किया

सुश्री तिखाला इताई, मालावी की एक मानवीय/महिला अधिकारों की कार्यकर्ता, हर लिबर्टी (उसकी स्वतंत्रता) नामक युवाओं के एक संगठन की सह–संस्थापक, प्रेसिडेंड ऑफ दी अफ्रीकन यूथ एंड एडोल्सेंट नेटवर्क देट कॉर्डिनेट यूथ–लेड नेटवर्क एंड ऑर्गेनाजेशन इन ईस्ट एंड साउथ अफ्रीका, ने तारीख 13.12.18 को आयोग का दौरा किया। श्रीमती रेखा शर्मा, अध्यक्ष, रा.म.आ., श्रीमती चंद्रमुखी देवी, सदस्य, श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता, सदस्य सचिव, श्री ए. अशोली चलाई, संयुक्त सचिव ने अन्य कर्मचारियों के साथ सुश्री तिखाला से महिलाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर व्यावहारिक विचार–विमर्श किया और इस बाबत उपलब्ध सर्वोत्तम पद्धति पर विचारों का आदान प्रदान किया।

राष्ट्रीय महिला आयोग में नए संयुक्त सचिव ने पदभार ग्रहण किया

श्री ए. अशोली चलाईः तारीख 26 नवंबर, 2018 को राष्ट्रीय महिला आयोग में श्री ए. अशोली चलाई ने संयुक्त सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह केंद्रीय सचिवालय सेवा (सिविल सेवा परीक्षा, 1987) बैच के है और उन्हें तारीख 13.11.2018 के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के आदेश सं. 3–5/09/2019–ईओ(एसएमआई) द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए या अगला आदेश होने तक नियुक्त किया गया है। इससे पहले श्री चलाई ने महत्वपूर्ण पदों, जैसे कि डीओपीटी और कोरपरेट कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में निदेशक/उपसचिव के रूप में कार्य किया है।

श्री आलोक रावत, सदस्य, रा.म.आ. की पदावधि पूरे होने पर विदाई समारोह

तारीख 31.10.2018 को आयोग में तीन वर्ष की अवधि पूरी होने के पश्चात् श्री आलोक रावत, सदस्य, रा.म.आ. के लिए आयोग ने विदाई समारोह आयोजित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग में उनके मूल्यान योगदान की सभी ने सराहना की।

श्री के. एल. शर्मा, संयुक्त सचिव, रा.म.आ. और अन्य कर्मचारियों का विदाई समारोह

तारीख 31.10.2018 को अधिवर्षिता की आयु पूरी होने के पश्चात् भारत सरकार से सेवानिवृत्त श्री के.एल. शर्मा, संयुक्त सचिव, रा.म.आ. के लिए विदाई समारोह आयोजित किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग में उनके मूल्यवान योगदान और निष्ठा की सराहना की गई। आयोग के तीन अन्य अधिकारियों जिन्होंने इस दिन अपनी पदावधि पूरी कर ली थी अर्थात् श्री आर.सी.आहूजा, अवर सचिव, सुश्री के. ललिता, सहायक विधि अधिकारी और श्री वी.के. जग्गी, वेतन एवं लेखा अधिकारी के लिए भी संयुक्त रूप से यह विदाई समारोह आयोजित किया गया।

राष्ट्रीय महिला आयोग में नए सदस्यों ने पदभार ग्रहण किया

नवंबर मास के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग में नए सदस्यों अर्थात् श्रीमती कमलेश गौतम, श्रीमती सोसा साइजा और श्रीमती चंद्रमुखी देवी ने पदभार ग्रहण किया।

श्रीमती कमलेश गौतम : श्रीमती कमलेश गौतम ने राष्ट्रीय महिला आयोग में सदस्य के रूप में तारीख 19 नवंबर, 2018 को पदभार ग्रहण किया। श्रीमती गौतम उत्तर प्रदेश राज्य की निवासी है। श्रीमती कमलेश गौतम के पास कानपुर विश्वविद्यालय से स्नात्तकोत्तर डिग्री है। वे वर्ष 1995 से उत्तर प्रदेश में जिला स्तर पर कई युवा और महिला उन्मुखी संगठनों की सक्रिय सदस्य रही हैं। श्रीमती गौतम शिक्षा के माध्यम से बालकों को सशक्त करने के लिए कार्यरत एक गैर सरकारी संगठन श्री साई सेवा शिक्षण संस्था के अध्यक्ष के पद पर भी विराजमान रही।

श्रीमती सोसो साइजा : श्रीमती सोसो साइजा ने तारीख 19 नवंबर, 2018 को राष्ट्रीय महिला आयोग में सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया। श्रीमती साइजा मणिपुर राज्य की विख्यात शिक्षाविद् हैं और उन्होंने इस राज्य में वर्ष, 1980 से जन–साधारण, विशेष रूप से मणिपुर की जनजाति की महिलाओं और ऊखरूल जिले के नौजवानों के लिए व्यापक रूप से कार्य किया है। श्रीमती साइजा हनफुन शानाओं लॉग (ऊखरूल महिला संघ) शिक्षा परियोजना की संस्थापक और सलाहकार हैं। वे ऊखरूल में पहले प्राइवेट रूप से चलाए जा रहे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सहबद्ध लिटिल एंजेल इंग्लिश विद्यालय की भी संस्थापक हैं और 30 वर्ष पहले इसके प्रारंभ होने के बाद अब तक 7000 से अधिक विद्यार्थियों ने सफलतापूर्वक माध्यमिक विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण की है। श्रीमती साइजा तंगखुल–नागा जनजाति की हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पाठ्यविषय में तंगखुल भाषा को सम्मिलित कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान है और यह पहली ऐसी जनजाति भाषा है जिसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 'आधुनिक भारतीय भाषा' के रूप में मान्यता दी गई। 2011 में श्रीमती साइजा को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा प्रबंध संस्थान, नई दिल्ली द्वारा उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए 'सर्वोत्तम शिक्षाविद् पुरस्कार' और ''उत्कृष्टता शिक्षा प्रमाणपत्र'' प्रदान किया गया। वर्ष 2011 में दुबई, यू.ए.ई. में उन्हें ग्लोबल अचिवरस फाउंडेशन द्वारा ''एशिया–पेसिफिक गोल्ड स्टार अवार्ड'' प्रदान किया गया। श्रीमती साइजा अपनी विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से मणिपुर में नवयुवतियों, महिलाओं, विधवाओं और अनाथों के साथ सक्रिय रूप से कार्य करती रही है। उन्होंने व्यक्तित्व विकास, प्रौढ़ साक्षरता, मादक द्रव्यों का सेवन और परिवार पर इसका प्रभाव, महिला सशक्तिकरण से संबंधित विषयों पर तथा राज्य में महिलाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर कई सेमिनार, कार्यशालाएं, सम्मेलन और तारूण्य शिविर आयोजित किए हैं। श्रीमती साइजा अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिदेशों को अग्रसर करने के लिए वचनबद्ध हैं।

श्रीमती चंद्रमुखी देवी : श्रीमती चंद्रमुखी देवी ने राष्ट्रीय महिला आयोग में सदस्य के रूप में तारीख 26 नवंबर, 2018 को पदभार ग्रहण किया। श्रीमती चंद्रमुखी देवी हिंदी साहित्य सम्मेलन से स्नातक है। वर्ष 1988 से श्रीमती चंद्रमुखी देवी महिलाओं से संबंधित कई संगठनों में विभिन्न पदों पर आसीन रही। वर्ष 1995 में श्रीमती चंद्रमुखी देवी तत्कालीन अविभाजित बिहार राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित हुई और बिहार में खगडिया निर्वाचन क्षेत्र से पहली महिला विधायक बनी। इसी वर्ष उन्हें महिला एवं बाल विकास समिति के लिए नामनिर्देशित किया गया। श्रीमती चंद्रमुखी देवी ने समाज कल्याण बोर्ड समिति निपसिड के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। वर्ष 2010 में उन्हें कपार्ट (दि कांउसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी) का सदस्य बनाया गया। इससे पहले वे बिहार सरकार के बीस सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष के पद पर विराजमान रही। श्रीमती चंद्रमुखी देवी वर्ष 2011–2014 तक बिहार राज्य महिला आयोग की सदस्य रही।

श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता ने सदस्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया

मीनाक्षी गुप्ता भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा के 1984 बैच की हैं। वे भारत सरकार में, जिनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय भी शामिल हैं, कई विभिन्न पदों पर आसीन रही हैं। सुश्री गुप्ता ने भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के कार्यालय में महानिदेशक, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश और महालेखाकार, दिल्ली से संबंधित, मुख्य पदों पर कर्तव्यों का निर्वहन किया है। मीनाक्षी गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली स्कूल ऑफ इकनोमिक्स से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और तत्पश्चात् उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के बाथ विश्वविद्यालय से डिवलप्मेंट इकनोमिक्स में मास्टर की डिग्री प्राप्त की। सुश्री गुप्ता प्रमाणित कपट कार्य परीक्षक और प्रमाणित आंतरिक लेखा परीक्षक भी हैं। सुश्री मीनाक्षी गुप्ता के पास भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में कई पदों पर लेखा परीक्षण और प्रशासन का व्यापक और विविध अनुभव है।

राष्ट्रीय महिला आयोग प्रशासन द्वारा किए गए कार्यकलाप

श्रीमती रेखा शर्मा, अध्यक्ष, रा.म.आ.

- तारीख 08.10.2018 को पटना, बिहार में विभिन्न महिला सशक्तिकरण और कल्याण योजनाओं की हिताधिकारियों से बातचीत की और बिहार सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। वे पटना में हेल्पलाइन और वन स्टॉप सेंटर भी गई और परामर्शदाताओं और घरेलू हिंसा की पीडितों के साथ बातचीत करके इसके कृत्यों की समीक्षा की।
- तारीख 08.10.2018 को डीजीपी बिहार से मुलाकात की और व्यापक रूप से वर्ष 2014–2018 से राज्य में लंबित उन मामलों के संबंध में विचार–विमर्श किया जिनमें बिहार पुलिस का हस्तक्षेप आवश्यक था। राष्ट्रीय महिला आयोग और बिहार पुलिस के बीच बेहतर तालमेल की आवश्यकता और तौर तरीके के बारे में भी विचार–विमर्श किया।
- तारीख 25.10.2018 को गुरूग्राम में आशा पुरस्कार (होप अवॉर्ड) में गई जहां लोग समाज की बेहतरी के लिए कार्य करते है उन्हें पुरस्कृत किया और उनकी सराहना की। यह कार्यक्रम होप संसूचना (अनुसंधान) (होप कम्युनिकेशन रिसर्च) द्वारा आयोजित किया गया था।

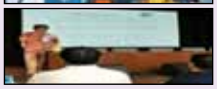

- तारीख 01.11.2018 को आयोग के कर्मचारियों को 'सत्यनिष्ठा की शपथ' दिलाई और भ्रष्टाचार समाप्त करने तथा सदैव ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के उच्चतर मानकों को बनाएं रखने के लिए प्रतिबद्धता की शपथ दिलाई।
- तारीख 17.12.2018 को हरियाणा के माननीय मंत्री श्री ओ.पी. धनकर के साथ झज्जर, हरियाणा में समर्थ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। लगभग 2000 महिलाओं और लड़कियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है और इस कार्यक्रम के दौरान उन्हें निःशुल्क सिलाई मशीन दी गई।

- तारीख 11.12.2018 को श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी, माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को आयोग की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रकाशित राष्ट्रीय महिला आयोग के विगत वर्षों के इतिवृत्त की कॉफी टेबल बुक भेंट की।

श्रीमती सोसो साइजा, सदस्य

- तारीख 03.12.2018 को नई दिल्ली में श्री (डा.) जितेन्द्र सिंह, के साथ मुलाकात की और पूर्वोत्तर राज्यों में कौशल विकास और विशेषज्ञ प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं के लिए उपजीविका कार्यक्रमों के संबंध में विचार–विमर्श किया।
- तारीख 06.12.2018 को मंत्री पुकरी, इम्फाल, मणिपुर में तबिया चिल्ड्रन हॉम का दौरा किया और अनाथों विशेष रूप से जिनको एचआईवी/एड्स है, के कल्याण के लिए प्रदान की जा रही सेवाओं की सराहना की।

- इम्फाल में तारीख 06.12.2018 को माननीय श्री एन. बिरेन सिंह, मुख्यमंत्री, मणिपुर और उनके मंत्रिमंडल के मंत्रियों द्वारा आयोजित अभिनन्दन कार्यक्रम में भाग लिया।
- सामाजिक कल्याण ऊखरूल के सहयोग से एक्शन ऑफ वीमेन इन डेवलपमेंट (एडब्ल्यूआईडी) द्वारा तारीख 08.12.2018 को आयोजित ऊखरूल मणिपुर में मुख्य अतिथि के रूप में 'लिंग आधारित हिंसा के 16 दिन सक्रियतावाद पर्यवेक्षण' में भाग लिया।
- मणिपुर में ऊखरूल जिला स्तर अधिकारियों के साथ तारीख 08.12.2018 को बैठक की और महिला संबंधी मुद्दों तथा विभिन्न सरकारी विकास योजनाओं के संबंध में विचार–विमर्श किया।
- दिल्ली में एक गैर सरकारी संगठन प्रयास द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 'मानवीय दुर्व्यापार के विरूद्ध कार्रवाई के लिए अपील' के संबंध में मुख्य पैनेलिस्ट के रूप में तारीख 10.12.2018 को 'लाखों के लिए न्याय (जस्टिस फॉर मिलियन्स)' कार्यक्रम में भाग लिया।
- श्री प्रियंक कानूनगो, अध्यक्ष एनसीपीसीआर, नई दिल्ली के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रतिनिधि के रूप में तारीख 13.12.2018 को न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में आयोजित प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद (बीसीसीसी) की बैठक में भाग लिया।
- अध्यक्ष, मणिपुर राज्य महिला आयोग के साथ इम्फाल, मणिपुर में तारीख 21.12.2018 को काबुई ग्राम, कईखु नामक एक स्वाधार गृह का दौरा किया। पर्यावरण और आर्थिक प्रबंधन असोसिएशन (ईईएमए) नामक एक गैर सरकारी संगठन द्वारा इसे चलाया जा रहा है और संबंधित प्राधिकारियों द्वारा इस स्वाधार गृह पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- तारीख 30.12.2018 को श्री किरन रिजीजू, संघ मंत्री से उनके कार्यालय में मुलाकात की और महानगरीय शहर और अन्य शहरों में रह रही पूर्वोत्तर महिलाओं के मुद्दों पर विचार–विमर्श किया।

श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता, सदस्य सचिव

- तारीख 28.12.2018 को 'महिला सशक्तिकरण में राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका' पर भाषण देने के लिए हंसराज महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आमंत्रित किया गया।

स्वप्रेरणा प्रकोष्ठ

आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण मामलों, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है, स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया:–

"आंध्र प्रदेश की महिला द्वारा जबरदस्ती सरोगेसी का अभिकथन" : आयोग ने तारीख 09.10.2018 को दि हिंदू, दिल्ली में प्रकाशित उस मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया जिसमें यह अभिकथन किया गया था कि सरोगेसी के लिए एक महिला को फुसलाया गया था और तत्पश्चात् उसे निरूद्ध किया गया और जब उसने इन्कार किया तब उसे इंजेक्शन लगा दिया गया।

"विवाह करने से इन्कार करने के लिए पुरूष द्वारा असम की विद्यार्थी पर एसिड फेंका जाना": तारीख 09.10.2018 को हिंदुस्तान टाइम्स, दिल्ली में यह मीडिया रिपोर्ट छपी थी। आयोग ने असम राज्य महिला आयोग से व्यापक रूप से की गई कार्रवाई रिपोर्ट भेजने के लिए कहा।

"जनरल अस्पताल में प्रसव के दौरान बच्चे और माता की मृत्यु": तारीख 28.11.2018 को विभिन्न राष्ट्रीय समाचारपत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ था जिसमें यह रिपोर्ट की गई थी कि नशे की हालत में एक डाक्टर द्वारा की गई शल्यचिकित्सा के कारण एक गर्भवती महिला और उसके बच्चे की मृत्यु हो गई। आयोग ने गुजरात की राज्य सरकार से व्यापक रूप से की गई कार्रवाई रिपोर्ट भेजने के लिए कहा। आयोग को यह सूचना दी गई कि इस संबंध में जांच पड़ताल की गई थी और डाक्टर और कर्मचारियों के भागरूप घोर उपेक्षा साबित हो गई है और अभियुक्त डाक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है।

"उत्पीड़कों द्वारा पुलिस थाने जा रही महिला को आग लगाना": तारीख 03.12.2018 के विभिन्न राष्ट्रीय समाचारपत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि सीतापुर में पुलिस थाने जाते समय महिला को जीवित जला दिया गया। आयोग ने पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश से व्यापक रूप से की गई कार्रवाई रिपोर्ट भेजने को कहा। आयोग को यह सूचित किया गया कि अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज की गई शिकायत के अनुसरण में उसे गिरफ्तार कर लिया है। संवेदनाहीन पुलिस कर्मचारियों के विरूद्ध एक विभागीय जांच भी की गई थी जिसमें उन्हें लापरवाह पाया गया था और परिणामस्वरूप उन्हें निलंबित कर दिया गया है।

तीर्थांकर महावीर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद में महिलाओं के विरूद्ध अपराध : आयोग ने एक ऐसी रिपोर्ट का संज्ञान लिया जिसमें यह सूचित किया गया था कि तीर्थांकर महावीर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद में महिलाओं के विरूद्ध अपराध कारित किए जाते है और यह भी अभिकथन किया गया था कि हाल ही में एक विद्यार्थी द्वारा इसी वजह से आत्महत्या की गई है। आयोग ने दो सदस्यीय तथ्य पता लगाने वाले दल का गठन किया जिसमें श्रीमती चंद्रमुखी देवी, सदस्य और श्री प्रवीन सिंह, परामर्शदाता थे। यह दल तारीख 14.12.2018 को मुरादाबाद गया। दल ने विश्वविद्यालय में बलात्कार की अभिकथित घटना के बारे में कोई प्रथमदृष्टया साक्ष्य नहीं पाया। तथापि, विश्वविद्यालय प्राधिकारियों को यह सलाह दी गई कि वह विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए सम्यक् रूप से सावधानी और लिंग मुद्दों के संबंध में और अधिक संवेदनशीलता बरते तथा पुलिस प्राधिकारियों को यह निदेश किया कि आत्महत्या के मामले में शीघ्रतापूर्वक जांच पूरी करें।

"तमिलनाडू में रक्त संचारित (ट्रांसफ्यूजन) करने से एचआईवी संक्रमण का दूसरी महिला द्वारा दावा": तारीख 29.12.2018 को विभिन्न समाचार चैनलों में यह समाचार प्रसारित हुआ था जिसमें यह रिपोर्ट की गई थी कि किल्पोक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रक्त संचारण प्रक्रिया के अनुसार 27 वर्ष की एक महिला विषाक्त संक्रामक से ग्रसित हुई। आयोग ने स्वास्थ्य और परिवार विभाग, तमिलनाडू सरकार से व्यापक की गई कार्रवाई रिपोर्ट भेजने को कहा। आयोग को यह सूचना दी गई कि इस संबंध में जांच पड़ताल की गई थी और यह पाया गया कि यह शिकायत मिथ्या थी क्योंकि महिला को एचआईवी संक्रमण नहीं हुआ है दूसरे अस्पताल में रक्त संचारित किया गया था।

शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ

उदयपुर, राजस्थान से शिकायत– राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जांच पड़ताल : उदयपुर, राजस्थान की निवासी एक नवयुवती से राष्ट्रीय महिला आयोग को उसके माता पिता के विरूद्ध शिकायत मिली थी जिसमें यह अभिकथन किया गया था कि उसका परिवार उसका विवाह करने के लिए जबरदस्ती कर रहा है और उसे परिरोध में रखा गया है। तथ्य पता लगाने वाले दो सदस्यों का एक दल संबंधित पुलिस अधिकारियों के साथ तारीख 08.10.2018 को उदयपुर के दौरे पर गया और शिकायतकर्ता और उसके परिवार के लोगों से मिला तथा मामले की जांच पड़ताल की। दल को यह आश्वासन दिया गया कि शिकायतकर्ता का परिवार उसकी इच्छा के बिना उसका विवाह करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। तथ्य पता लगाने वाले दल ने स्थानीय पुलिस कर्मचारियों को मामले की निगरानी करने का निदेश किया।

विधिक जागरूकता कार्यक्रम

आयोग द्वारा तारीख 11.12.2018 से तारीख 12.12.2018 तक साउथ त्रिपुरा के बेलोनिया जिले में एक दो दिवसीय विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया जिससे कि महिलाएं और लड़कियां अपने विधिक अधिकारों और प्रक्रिया तथा विधिक प्रणाली तक पहुंच की पद्धति के बारे में जानकारी प्राप्त करके समर्थ हो सके।

जन सुनवाई

शिकायतों की बढ़ती हुई संख्या और उनको त्वरित तथा प्रभावी निपटारा सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुए आयोग ने विभिन्न राज्यों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और संबंधित पुलिस प्राधिकारियों के सहयोग से, महिला जन सुनवाई आयोजित करता है। इन महिला जन सुनवाईयों में आयोग के अध्यक्ष या/और सदस्य अध्यक्षता करते हैं। दिसंबर, 2018 मास के दौरान उत्तर प्रदेश के दो जिलों अर्थात् आगरा और गाजियाबाद में तारीख 28.11.2018 को जन सुनवाई आयोजित की गई। उत्तरी दिल्ली में तारीख 29.12.2018 को एक और अन्य जन सुनवाई आयोजित की गई। मामलों की सुनवाई की गई और मामलों को बंद करने के अतिरिक्त आयोग ने डीएलएसए/पुलिस अधिकारियों को शेष मामलों में और आगे शीघ्रतापूर्वक कार्रवाई करने के लिए उचित निदेश भी जारी किए थे।

मनोरोग गृह और अभिरक्षा गृह सुधार प्रकोष्ठ

नवंबर, 2018 में आयोग ने मनोरोग गृह में महिला रोगियों की स्थिति से संबंधित सुसंगत जानकारी एकत्रित करने के लिए एक व्यापक प्रोफार्मा तैयार किया और दिसंबर, 2018 में सरकारी क्षेत्र में के 34 सरकारी मनोरोग गृहों को इस प्रोफार्मा को भेजा। आयोग द्वारा प्रोफार्मा में प्राप्त जानकारी की समीक्षा की जा रही है।

क्षमता निर्माण प्रकोष्ठ

लिंग संवेदनशीलता: पुलिस कार्मिकों के बीच संवेदनशीलता के उच्चतर स्तर को प्राप्त करने के प्रयास के भागरूप आयोग द्वारा तारीख 29.12.2018 को पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, झडोडा कला, नई दिल्ली में दो समूहों में, दिल्ली पुलिस के 984 अधिकारियों के लिए एक लिंग संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोग के विशेषज्ञ लिंग प्रशिक्षक अर्थात् सुश्री चेतना सोनी, अनुसंधान अधिकारी, श्री सर्वेश पांडे, परामर्शदाता, श्री पीयूष छाबड़ा, जेटीई (विधिक) और सुश्री अवनी बाहरी, जेटीई (विधिक) ने निम्नलिखित विषयों पर; i) एक सामाजिक रचना के रूप में लिंग और पुलिस की सुलभता और ii) महिलाओं के विरूद्ध अपराध और पुलिस की भूमिका, पर पारस्परिक संवाद सत्र आयोजित किया। श्री नीतिश चंदन, साइबर पीस फांउडेशन ने साइबर अपराध पर सत्र आयोजित किया। इसका लक्ष्य लिंग मुद्दों पर अधिकारियों को संवेदीग्राही बनाना था और पुलिस बल को सशक्त करना था जिससे कि वे पूर्वाग्रह और भेदभाव के बिना अधिक प्रभावी रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करने समर्थ हो सके।

राष्ट्रीय महिला आयोग, प्लॉट नं. 21, **जसोला इंस्टीट्यूशनल एरिया,** नई दिल्ली– 110025 द्वारा प्रकाशित।
डायल: 011-26942369, 26944740, 26944754, 26944805, 26944809
डॉलफिन प्रिंटो ग्राफिक्स, 1ई/18, चौथा तल, जालंधर एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 #011-23593541-42.